

[2019] एस. सी. आर. 1060

राहुल दत्ता और अन्य

बनाम्

बिहार राज्य और अन्य

(रिट याचिका (सी) संख्या 71/2019)

14 फरवरी, 2019

[अरुण मिश्रा और नवीन सिन्हा, न्यायमूर्तिगण]

बिहार लोक सेवा (न्यायिक शाखा) (भर्ती) नियम, 1955:

नियम 5(क)(3)-की संवैधानिक वैधता संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर रिट याचिका- में चुनौती दी गई- अभिनिर्धारित-नियम 5 ए (3) में प्रावधान है कि प्रारंभिक परीक्षा में उपस्थित होने वाले कुल उम्मीदवारों में से 10 प्रतिशत को अंतिम लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाना है-जबकि मलिक मजहर के मामले में यह माना गया कि अंतिम लिखित परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को बुलाने के लिए प्रारंभिक लिखित परीक्षा के परिणाम की घोषणा सफल उम्मीदवारों और उपलब्ध रिक्तियों के 1:10 के अनुपात में होनी चाहिए: नियम 5 ए मलिक मजहर के मामले में जो निर्धारित किया गया है, उसका उल्लंघन है-उपस्थित उम्मीदवार कुल संख्या का 10 प्रतिशत निर्धारित करना भी अन्यथा मनमाने और अनुचित हैं क्योंकि यह अंतिम परीक्षा में अपना दावा करने के लिए उम्मीदवारों की संख्या को काफी हद तक प्रतिबंधित करता है-इस नियम में एक और स्पष्ट त्रुटियां है कि प्रारंभिक परीक्षा में कोई न्यूनतम उत्तीर्ण अंक निर्धारित नहीं किए गए हैं-हालांकि, प्रश्नगत परीक्षा के लिए, परीक्षा समाप्त होने के बाद अंक निर्धारित करना उचित नहीं होगा-मुख्य परीक्षा के लिए निर्धारित किए गए कट ऑफ अंक बहुत कम नहीं जा रहे हैं और यह उचित हैं, और इसलिए, प्रारंभिक परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक निर्धारित नहीं करने के नियम की कमी से, वर्तमान परीक्षा में कोई अयोग्यता नहीं होगी नियम-

5 ए(3) में निहित प्रावधान। को निरस्त कर दिया गया है-इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि राज्य सरकार ने नियमों में संशोधन का सुझाव दिया है और यह लंबित है, अन्य प्रश्नों पर विस्तार नहीं किया गया है-वर्तमान आदेश के तहत, चूंकि रिक्तियों के 10 गुना के बराबर उम्मीदवारों को बुलाना जाना है, जिसके लिए व्यवस्था करने के लिए समय की आवश्यकता होती है, इसलिए वर्तमान निर्णय की तारीख 14.02.2019 से, वर्तमान परीक्षा की तिथि 20.02.2019 को, छह सप्ताह के भीतर तक बढ़ा दिया जाता है याचिकाओं की अनुमति है।

मलिक मजहर सुल्तान (3) और एक अन्य बनाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा
आयोग और अन्य (2008) 17 एस. सी. सी. 703-पर आधारित

मामले का कानूनी संदर्भ

(2008) 17 एस. सी. सी. 703 पर आधारित है कंडिका 3

मूल दीवानी क्षेत्रधिकार: रिट (दीवानी) याचिका 71/2019.

[भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत]

के साथ

रिट याचिका (दी.) 92,158,179/2019

गोपाल शंकरनारायणन, सुश्री पूजा धर, सुश्री गायत्री वर्मा, सुश्री ऐश्वर्या केन, राकेश कुमार, संजय यादव, राहुल कुमार, विश्वबंधु, सुश्री नबिला हसन, सत्य मित्रा, क्षत्रशाल राज, विशाल प्रसाद सुश्री तान्या चौधरी, सुश्री प्रज्ञा प्रियदर्शिनी (मेसर्स पारेख एंड कंपनी के लिए), नवीन प्रकाश, केशव मोहन, ऋषि के. अवस्थी, प्रशांत कुमार, संतोष कुमार-I, उपस्थित पक्षों के अधिवक्तागण न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय दिया गया:

निर्णय

1. रिट याचिका (डायरी संख्या 5352/2019) को तख्ता पर लिया गया है।
2. भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर रिट याचिकाओं में, सिविल जज (कनिष्ठ प्रभाग) की परीक्षा के उम्मीदवार में प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होने वाले केवल 10% उत्तीर्ण उम्मीदवारों को बुलाने की कार्यवाही से व्यक्ति हैं और वही उत्तीर्ण 10% उम्मीदवार ही मुख्य परीक्षा में बैठ सकते हैं।
3. उनका मुख्य निवेदन यह है कि मलिक मजहर सुल्तान (3) और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अन्य, (2008) 17 एस. सी. सी. 703 में इस न्यायालय के निर्णय के अनुसार रिक्तियों को प्रारंभिक परीक्षा आयोजित करके और उसके बाद अंतिम लिखित परीक्षा और उसके बाद मौखिक परीक्षा आयोजित करके भरा जाना है। इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देश के अनुसार सिविल जज (कनिष्ठ प्रभाग) में सीधी भर्ती के लिए यह व्यवस्था की गयी है कि उम्मीदवार पहले प्रारंभिक परीक्षा में बैठेंगे, फिर वे मुख्य लिखित परीक्षा में बैठेंगे जो प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे लेकिन जितनी रिक्तियाँ होंगी उसके 10 प्रतिशत के बराबर उत्तीर्ण उम्मीदवार होने चाहिए: सफल उम्मीदवारों सफल उम्मीदवारों ही मुख्य लिखित परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जायेगा।
4. बिहार सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) (भर्ती) नियम, 1955 (जिसे इसमें इसके बाद 'नियमों' के रूप में संदर्भित किया गया है) के नियम 5 ए को दिनांक 28.12.2016 की अधिसूचना द्वारा यहां जोड़ा गया है, इसे नीचे उद्धृत किया गया है:-----

“5 क. (1) लिखित परीक्षा में भर्ती होने वाले पात्र उम्मीदवारों की संख्या अपने फैसले में, असाधारण रूप से बड़ी होने की स्थिति में आयोग इंतिहान ले सकता है, क्योंकि उसके निर्णय में एक और प्रारंभिक परीक्षा ले सकता है।

(2) यह संख्या बहुत अधिक प्रारंभिक परीक्षा में 100 अंकों के सामान्य अध्ययन का दो पेपर और 150 अंकों का कानून का पेपर शामिल होंगे। पेपर में बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जिनमें से एक सही उत्तर होगा। ओ एम आर उत्तर पुस्तिकाओं का उपयोग और मूल्यांकन आयोग के परिसर में कंप्यूटर द्वारा किया जाएगा। दोनों पेपरों के लिए सिलेबस वही होगा जो लिखित परीक्षा

क्रमशः लिखित परीक्षा में सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान तथा कानून के पेपर के लिए निर्धारित किया गया है।

(3) लिखित परीक्षा के लिए पात्र उम्मीदवारों का चयन प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम के आधार पर किया जाएगा, जो उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या के 10% की सीमा तक, निकटतम सौ उम्मीदवारों की संख्या तक किया जाएगा और अंतिम उम्मीदवार की तरह समान अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवार भी लिखित परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त करेंगे।

बशर्ते कि सामान्य श्रेणी के अलावा अन्य आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों के मामले में, अगर सफल उम्मीदवारों की संख्या राज्य सरकार में सेवा में उनके लिए निर्धारित प्रतिशत से कम हो तब प्रारंभिक परीक्षा में सफल उम्मीदवारों की सूची में, उन श्रेणियों के कई उम्मीदवारों को उनमें योग्यता के अनुसार, लिखित परीक्षा लेना अतिरिक्त रूप से शामिल किया जाएगा।"

5. इस बारे में कोई संदेह नहीं है कि नियम 5 ए (3) में स्पष्ट रूप से यह बशर्ते कहा गया है कि नियमों के नियम 5 ए (3) में उपबंधित राउंडिंग ऑफ के अनुसार अंतिम लिखित परीक्षा में प्रति उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों में से कुल संख्या के केवल 10% को ही बुलाया जाएगा।

6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को विस्तार से सुनने के बाद, हमारी यह सुविचारित राय है कि पूर्वोक्त नियम 5 ए इस अदालत द्वारा मलिक मजहर सुल्तान (ऊपर) में जो अधिकथित किया गया है, उसका उल्लंघन है। जिसमें इस अदालत ने उस प्रस्ताव के आधार पर टिप्पणी की है जिस पर आपत्ति नहीं की गई थी। इस अदालत ने सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के लिए प्रारंभिक इतिहास के बाद अंतिम इतिहास के लिए उम्मीदवारों को बुलाने के अनुपात को इस प्रकार निर्दिष्ट किया है:-

“सीधी भर्ती द्वारा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पदों पर नियुक्ति के लिए।

क्र. सं.	विवरण	तिथि
----------	-------	------

7 वें स्थान पर	प्रारंभिक लिखा हुआ इतिहास के परिणाम की घोषणा वेबसाइट पर की जा सकती है और समाचार पत्र में भी प्रकाशित में जा सकती है। सफल उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध रिक्तियों में से 10 को बनाए रखा जाए	15 जून
-------------------	--	-----------

8. ये निर्देश सिक्किम हाईकोर्ट में न्यायपालिका के बहुत छोटे संवर्ग को देखते हुए उस राज्य में न्यायपालिका पर लागू नहीं होंगे।"

7. अंतिम लिखित परीक्षा के लिए बुलाई जाने वाली प्रारंभिक परीक्षा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों में कुल संख्या के 10 प्रतिशत का निर्धारण भी अन्यथा मनमाना अन्यथा अकारण है क्योंकि यह अंतिम परीक्षा में अपना दावा करने के लिए उम्मीदवारों की संख्या को काफी हद तक सीमित करता है। 349 उपलब्ध सीटों के लिए नियम के संचालन के आधार पर सामान्य श्रेणी की अंतिम लिखित परीक्षा के लिए उम्मीदवारों की कुल संख्या 902 और आरक्षित श्रेणियों के लिए यह संख्या 198 और कुल संख्या 1100 है। 349 में से आरक्षित सीटों की संख्या लगभग 50% है जो लगभग 174 सीटों तक आती है। अंतिम इतिहास में अपना दावा पेश करने के लिए बुलाए जाने वाले आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों की संख्या लगभग 198 है। इसका अनुपात लगभग 1:1 है जबकि यह होना चाहिए 1:10 जबकि अनारक्षित श्रेणी में उपरोक्त नियम 5 ए (3) के संचालन द्वारा बुलाए गए उम्मीदवारों में कुल संख्या 902 है। सामान्य श्रेणी के लिए आरक्षित लगभग 175 सीटों के लिए उम्मीदवारों की संख्या आरक्षित श्रेणी के लिए भी रिक्तियों की संख्या 1750 होगी। इस प्रकार, हमारी राय है कि उपरोक्त नियम स्पष्ट रूप से मनमाना है और मलिक मज़हर सुल्तान (ऊपर) में प्रतिस्पर्धी क्षेत्र को प्रतिबंधित करने के इस अदालत के फैसला का उल्लंघन करता है। अंतिम लिखित परीक्षा के लिए उम्मीदवारों की संख्या को सीमित करने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

8. इसके अलावा नियम में एक और स्पष्ट त्रुटियां हैं। प्रारंभिक इतिहास में कोई न्यूनतम उत्तीर्ण अंक निर्धारित नहीं किए गए हैं। 1: 10 का अनुपात केवल तभी लागू है जब सफल उम्मीदवारों की संख्या उपलब्ध है और प्रारंभिक इतिहास में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक प्राप्त करना जरूरी होना चाहिए, उनमें से सफल उम्मीदवारों में से अंतिम लिखित परीक्षा के लिए 10

उम्मीदवारों को बुलाया जाना आवश्यक है। न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों वाले उम्मीदवारों को अंतिम इंतिहान में अपना दावा पेश करने में अनुमति दी जा सकती है। सभी संबंधित हितधारकों जैसे बिहार राज्य, पटना हाईकोर्ट अलग से ही बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा यह आश्वासन दिया जाता है कि वे यह सुनिश्चित करेंगे कि सामान्य अलग से ही आरक्षित श्रेणी में लिए भी तर्कसंगत तरीके से प्रारंभिक इंतिहान के नियमों के अंतर्गत न्यूनतम उत्तीर्ण अंक निर्धारित किए जाएं। भविष्य की इंतिहान में ऐसा किया जाए। हालाँकि प्रश्नगत इंतिहान के लिए, इंतिहान है बाद अब अंक तय करना उचित नहीं होगा।

9. अंतिम लिखा हुआ इंतिहान के लिए यदि 10% उम्मीदवारों मामला उपलब्ध रिक्तियों में तुलना में कहा जाता है, तो विभिन्न श्रेणियों के लिए कट ऑफ अंक-वार, जैसा कि बिहार जनता सेवा आयोगों द्वारा प्रयोगात्मक रूप से गणना में गई है, निम्नानुसार है:-

“मुख्य इंतिहान के लिए योग्य करने के लिए प्रस्तावित उम्मीदवारों की संख्या, कुल उपस्थित उम्मीदवारों की 10 प्रतिशत संख्या के अनुसार, निकटतम 100 (5 प्रतिशत कम उम्मीदवार के बिना):

श्रेणी	आरक्षण का प्रतिशत	पुरुष उम्मीदवारों की संख्या	महिला उम्मीदवारों की संख्या	उम्मीदवारों की कुल संख्या
अनारक्षित (01)	50%	648 कट-ऑफ अंक: 171 (68.95%)	332 कट-ऑफ मार्क: 163 (65.72%)	980
बीएससी (02)	16%	191 कट-ऑफ मार्क: 124 (50%)	102 कट ऑफ मार्क्स: 103 (41.53%)	293
सेंट (03)	1%	12 कट ऑफ मार्क्स: 135 (54.43)	06 कट-ऑफ मार्क्स: 119 (47.98%)	18
ईबीसी (04)	21%	251 कट-ऑफ मार्क: 129 (52.01%)	125 कट ऑफ मार्क्स: 109 (43.95%)	376
बी. एससी. (05)	12%	99 कट-ऑफ मार्क्स: 154 (62.09%)	55 कट ऑफ मार्क्स: 144 (58.06%)	154
हड्डी रोग संबंधी विकलांगता	कुल रिक्तियों	18	04	22

(ओएच)	में से 1%			कट ऑफ मार्क्स: 14 (59.27%)
कुल मिलाकर	–	1219	624	1843

10. जैसा कि प्रारंभिक नियम से तर्कसंगत है, कट ऑफ अंक बहुत कम होते जा रहे हैं तर्कसंगत रूप से बशर्ते किया गया डेटा अनंतिम है और पुरुष या महिला आदि में श्रेणी में उम्मीदवारों के प्रतिशत या संख्या में गणना करने में त्रुटियां, यदि कोई हो, तो इतिहास का विषय है। हालाँकि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा कट ऑफ मार्क्स का निर्धारण और उपर्युक्त उम्मीदवारों को पुकारना के लिए इस अदालत द्वारा दी गई अनुमति को प्रारंभिक इतिहास के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों के सवाल का निर्णय करने के रूप में नहीं माना जाएगा, जिसे नियमों के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाना है।

11. इन परिस्थितियों में हमें नियमों के नियम 5 ए (3) में निहित प्रावधान को रद्द करने में कोई नहीं है। हम इसे लागू करते हैं कि बिहार राज्य ने भी 15 जनवरी, 2019 के पत्र में नियमों में संशोधन का सुझाव दिया है और यह हाईकोर्ट के समक्ष सोच-विचाराधीन है और दिनांक चढ़ा हुआ प्रशासनिक पक्ष पर पूर्ण अदालत के लंबित जाना है। हाईकोर्ट को उपरोक्त प्रस्ताव पर कानून के अनुसार फैसला लेने होने देना और मलिक मजहर सुल्तान (ऊपर) में इस अदालत के फैसला पर भी विधिवत विचार लेना होने देना।

12. रिट याचिकाओं में की गई प्रार्थना के संबंध में, महिला उम्मीदवारों को क्षैतिज आरक्षण बशर्ते करने के संबंध में यह बशर्ते किया जा रहा है। इस प्रकार, क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने के बारे में उठाया गया सवाल अब नहीं है।

13. इन परिस्थितियों में चूंकि इतिहास 20 फरवरी, 2019 को अनुसूचित होने वाली है, इसलेना बिहार लोक सेवा आयोग ने प्रस्तुत किया है कि अब इस आदेश के अंतर्गत उम्मीदवारों को रोल नंबर भेजने, केन्द्र के आवंटन और अन्य व्यवस्था करने में कुछ समय लगेगा। अंतिम लिखित परीक्षा आज से छह सप्ताह के भीतर आयोजित की जाए। यदि अंतिम चयन में लिए इस मामले द्वारा निर्धारित समय में विस्तार में लिए प्रार्थना करना ज़रूरी है, तो बिहार राज्य में हाईकोर्ट उचित पीठ में समक्ष समय में विस्तार में लिए आवेदन करने के लिए स्वतंत्र है।

14. परिणामतः, नियमों का नियम 5 क (3) रद्द किया जाता है और तदनुसार रिट याचिकाओं की अनुमति दी जाती है। हम यह स्पष्ट करते हैं कि हम अन्य प्रश्नों पर विस्तार से चर्चा नहीं कर रहे हैं क्योंकि हाईकोर्ट नियमों में संशोधन के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है।

15. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, निपटाए जाएंगे।

[अरुण मिश्रा], न्यायमूर्ति

[नवीन सिन्हा], न्यायमूर्ति

नई दिल्ली

14 फरवरी, 2019

खण्डन (डिस्क्लेमर) :- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।